बिहार सरकार
राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com
www.scdisabilities.org

पत्रांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0(विविध)-09/2018-228/आ0नि0को0 दिनांक- 24.02.2021

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार, पटना।

सेवा में,

1. सभी जिलों के सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी,
जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, बिहार।

2. सभी जिलों के अनुमण्डल पदाधिकारी, बिहार

3. सचिव/अध्यक्ष,
दिव्यांगता प्रक्षेत्र में कार्यरत गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थान,
(राज्य आयुक्त नि:शक्तता कार्यालय से निबंधित)

विषय :- **विश्व श्रवण दिवस, 03 मार्च 2021 के अवसर पर बधिरता एवं श्रवण हानि को रोकने तथा कान व श्रवण शक्ति की देखभाल को बढ़ावा देने एवं अनुषंगी विषयों पर जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय में यह पत्र विश्व श्रवण दिवस, 03 मार्च 2021 के अवसर पर बधिरता एवं श्रवण हानि को रोकने तथा कान व श्रवण शक्ति की देखभाल को बढ़ावा देने एवं अनुषंगी विषयों पर जागरूकता कार्यक्रमों के सम्पूर्ण राज्य में आयोजन के सम्बन्ध में है।

विदित हो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रत्येक वर्ष 03 मार्च को विश्व श्रवण दिवस का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन बधिरता एवं श्रवण हानि को रोकने तथा कान एवं श्रवण शक्ति की देखभाल एवं अनुषंगी विषयों में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अध्याय-5 की धारा-25 (स्वास्थ्य देख-रेख) के अन्तर्गत निम्न प्रावधान है :-

धारा-25(2) समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी स्वास्थ्य देख-रेख की अभिवृद्धि और दिव्यांगता की घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करेंगे और स्कीम या कार्यक्रम बनाएंगे और उक्त प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित करेंगे -

(क) दिव्यांगता की घटनाओं के कारणों से सम्बन्धित सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान करना या कराना;

(ख) दिव्यांगता को रोकने के लिए विभिन्न पद्धतियों को प्रोन्नत करना;

(ड़) जागरूकता अभियान प्रायोजित करना या कराना और साधारण आरोग्य, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए जानकारी का प्रसार करना या कराना;

(ज) दिव्यांगता के कारणों और अंगीकृत किए जाने वाले विरोधात्मक उपायों को टेलीविजन, रेडियों और अन्य जन संचार साधनों के माध्यम से जनता के मध्य जागरूकता उत्पन्न करना;

उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-80 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार, पटना को दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं के निष्पादन का कार्य दायित्व सौंपा गया है। (राज्य आयुक्त के कृत्य) की उप धारा 80 (ख) में प्रावधान है कि राज्य आयुक्त स्वप्रेरणा से या अन्यथा नि:शक्त व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के सम्बन्ध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षापायों की जाँच करेगा, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले को उठाएगा। इस कार्य दायित्व के निर्वहन के लिए अधिनियम की धारा-82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार, पटना को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए वही शक्तियाँ होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी न्यायालय में निहित होती है।

बधिरता एवं श्रवण हानि को रोकने तथा कान व श्रवण शक्ति की देखभाल को बढ़ावा देने एवं अनुषंगी विषयों पर जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के सम्बन्ध में निम्न तथ्य महत्वपूर्ण है :-

(1) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-2 (य, ग) से सम्बन्धित अनुसूची में विनिर्दिष्ट दिव्यांगजनों को परिभाषित किया गया है।

अनुसूची अन्तर्गत कंडिका-1(इ) में श्रवण शक्ति का ह्रास से सम्बन्धित दिव्यांगताओं का उल्लेख है। अनुसूची अनुरूप

1(इ) (क) "बधिर" से दोनों कानों से संवाद आवृत्तियों में 70 डेसिबिल श्रव्य ह्रास वाले व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ख) "ऊँचा सुननेवाला व्यक्ति" से दोनों कानों से संवाद आवृत्तियों में 60 डेसिबिल से 70 डेसिबिल श्रव्य ह्रास वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(2) विश्व स्वास्थ्य संगठन के आँकड़ों के अनुसार विश्व की लगभग 5% से अधिक जनसंख्या अर्थात लगभग 46.6 करोड़ लोग बाध्यकारी श्रवण हानि से ग्रस्त है, जिनमें से 3.4 करोड़ बच्चे हैं। वर्ष 2050 तक बाध्यकारी श्रवण हानि से ग्रस्त लोगों की संख्या अनुमानत: 90 करोड़ से अधिक हो जाएगी।

(3) भारतवर्ष की लगभग 6.3% आबादी श्रवण हानि से ग्रस्त है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (58th Round, 2002) के आँकड़ों के अनुसार श्रवण दिव्यांगता, दिव्यांगता का दूसरा सर्वाधिक प्रमुख कारण है, जबकि यह संवेदी हानि (Sensory deficit) का सर्वाधिक प्रमुख कारण है।

(4) भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा श्रवण हानि के मामले की प्रतिशतता अधिक है।

(5) श्रवण हानि के लिए जन्मजात/जन्म से जुड़ी तथा बाद में धारित स्वास्थ्य संबंधी तथा वातावरण संबंधी कारण जिम्मेदार होते हैं।

(6) श्रवण हानि व बधिरता मानव जीवन के क्रियात्मक, सामाजिक व भावनात्मक तथा आर्थिक पक्ष को काफी गहरे रूप से प्रभावित करता है।

(7) व्यक्तिगत स्तर पर संवाद की हानि, भाषा/बोली का बाधित विकास एवं उससे जुड़ा अकेलापन, निराशा (विशेषकर उम्रदराज लोगों में), रोजगार के अवसरों तथा प्रभावित के उत्पादकता की हानि इत्यादि श्रवण हानि से जुड़े प्रमुख प्रतिकूल क्रियात्मक, सामाजिक व आर्थिक प्रभाव है।

(8) महत्वपूर्ण है कि श्रवण हानि एवं कान से जुड़े रोगों को विविध निरोधात्मक उपायों यथा जन्म के समय/पश्चात समुचित चिकित्सीय हस्तक्षेप उच्च ध्वनि/शोर से सुरक्षा, कान की समुचित देखभाल तथा टीकाकरण इत्यादि द्वारा प्रभावी रूप से कम किया जा सकता है।

(9) विश्व स्वास्थ्य संगठन इन उपायों एवं उपचारों के समयबद्ध एवं प्रभावी हस्तक्षेप पर जोर देता है ताकि श्रवण हानि वाले लोग की पूर्ण श्रवण क्षमता सुनिश्चित की जा सके। इन हस्तक्षेपों द्वारा श्रवण हानि से जुड़े प्रतिकूल प्रभावों को न्यून करते हुए शिक्षा, रोजगार, संचार व बेहतर सामाजिक व आर्थिक जीवन तक पहुँच सुविधाजनक बना सकते है।

(10) जन्म से जुड़े संबंधित कारणों एवं इससे उपजी श्रवण हानि को प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षित हस्तक्षेप द्वारा कम किया जा सकता है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है।

(11) विविध रोगों के कारण होने वाली तथा वातावरण ज़नित कारकों यथा उच्च ध्वनि/शोर, मोबाइल एवं अन्य संचार साधनों का दुरूपयोग के कारण होने वाली श्रवण हानि को इससे संबंधित समुचित जागरूकता प्रसार द्वारा कम किया जा सकता है। इस संबंध में सरकार के विभिन्न विभागों की प्रमुख भूमिका है।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि विश्व श्रवण दिवस, 03 मार्च 2021 के अवसर पर बधिरता एवं श्रवण हानि को रोकने तथा कान व श्रवण शक्ति की देखभाल को बढ़ावा देने एवं अनुषंगी विषयों पर जागरूकता कार्यक्रमों को अनुमण्डल एवं जिला स्तरों पर आयोजित किए जाने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ करने की कृपा की जाए। दिव्यांगता प्रक्षेत्र में कार्यरत गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थानों से भी अनुरोध है कि अपने संस्थान, संस्थान से जुड़े दिव्यांगजनों एवं दिव्यांगजनों के अभिभावकों तथा सामान्यजनों के मध्य भी इन विषयों पर जागरूकता प्रसार हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही अनुरोध है कि आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रतिवेदन इस कार्यालय उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

11.02.2021

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0(विविध)-09/2018-228/आ0नि0 दिनांक 24/02/2021

प्रतिलिपि:-सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं इस संबंध में अपने क्षेत्राधिकार स्थित कार्यालय को निदेशित करने हेतु प्रेषित।

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0(विविध)-09/2018-228/आ0नि0 दिनांक 24/02/2021

प्रतिलिपि:-सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं इस संबंध में अपने क्षेत्राधिकार स्थित कार्यालय को निदेशित करने हेतु प्रेषित।

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0(विविध)-09/2018-228/आ0नि0 दिनांक 24/02/2021

प्रतिलिपि:-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं इस संबंध में अपने क्षेत्राधिकार स्थित कार्यालय को निदेशित करने हेतु प्रेषित।

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0(विविध)-09/2018-228/आ0नि0 दिनांक 24/02/2021

प्रतिलिपि:-सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं इस संबंध में अपने क्षेत्राधिकार स्थित कार्यालय को निदेशित करने हेतु प्रेषित।

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।।

ज्ञापांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0(विविध)-09/2018-228/आ0नि0 दिनांक 24/02/2021

प्रतिलिपि:-उप मुख्य आयुक्त, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-09/रा0आ0नि0(विविध)-09/2018-228/आ0नि0 दिनांक 24/02/2021

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।